भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1812

बुधवार, 4 मई, 2016 को दिया गया उत्तर

एमपीलैड निधियों का प्रयोग

1812. श्री दुष्यंत चौटाला:
श्री भगवंत खुबा:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु आवंटित संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एम पी लैड) के प्रयोग में संसद सदस्यों की कोई भूमिका नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति ने एमपीलैड के अंतर्गत निधियों के आवंटन में व्यवहारिक समस्याओं को उत्पन्न किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जिला मुख्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि एमपीलैड की परियोजनाओं को सीधे संसद सदस्यों की निगरानी में निष्पादित किया जाए; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय [जनरल (डॉ.) वी.के. सिंह (सेवा-निवृत्त)]

(क): सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीलैड्स) के अंतर्गत, माननीय संसद सदस्य उनके निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर महसूस गई आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों की अनुशंसा करते हैं । फील्ड में कार्यों का क्रियान्वयन जिला प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के

तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय नियमों तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

(ख) और (ग): जी, नहीं । निधियां, एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर संसद सदस्य-वार जारी की जाती हैं । निधियां, केन्द्र सरकार तथा जिला प्राधिकारी, दोनों के स्तर पर अव्यपगत होती हैं अर्थात किसी वर्ष विशेष में खर्च न की गई शेष राशि उत्तरवर्ती वर्ष (वर्षों) में उपयोग में लाई जाती है ।

(घ): जी, नहीं ।

(ड.): प्रश्न नहीं उठता ।

*****